discharge of their official duties. There are already instructions to the effect that the tour expenses of the Ministers soould be kept to the minimum.

जयपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय की न्यायपीठ

1832. **श्री बृजराज सिंह कोटा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1 फरवरी, 1970 को नई दिल्ली में जयपुर बार एसोसियेशन का 5 सदस्यों का एक शिष्टमंडल जयपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ की स्थापना के सम्बन्ध में एक मांग पत्र लेकर उन से मिला था ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जयपुर बार एसोसियेशन का एक शिष्टमंडल गृह मंत्री से जयपुर में 29 सितम्बर, 1969 को मिला था न कि 1 फरवरी, 1970 को ।

(ख) राजस्थान राजधानी जांच समिति (राजस्थान केपिटल इन्क्वायरी कमेटी) की सिफारिशों पर 1958 में जयपुर में राजस्थान उच्च-न्यायालय की न्यायपीठ समाप्त कर दी गई थी । निर्णय पर पुन: विचार करने के लिए परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

Harijans Killed in Inter-Caste Clash in Arcot District (Tamil Naidu)

1833. SHRI C.C. DESAI :
SHRI D.N. DEB :
SHRI PILOO MODY :
SHRI J. MOHAMED IMAM :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to a report published in the *Sunday Standard* of the 18th January, 1970 stating that several Harijans were killed in Inter-Caste clash in Arcot District of Tamil Nadu on the 17th January, 1970 ; and

(b) if so, whether Government have conducted an enquiry into this ghastly incident and what action, if any, has been taken against the culprits ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY HOME OF AFFAIRS (SHRI K.S. RAMASWAMY : (a) Yes Sir.

(b) Facts are being ascertained from the State Government.

President's Assent to West Bengal and Kerala Governments Bills on Compulsory Recognition of Trade Unions

1834. SHRI UMANATH :
SHRI A.K. GOPALAN :
SHRI JYOTIRMOY BASU :
SHRI K.M. ABRAHAM :
SHRI DAVEN SEN :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the President has not given his assent to the west Bengal and kerala Government's Bills on compulsory recognition of Trade Unions ;

(b) if so, the reasons for the delay ;

(c) whether the Central Government have received any protest note from these two State Governments regarding this matter ; and

(d) if so, the reaction of Government thereto ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): (a) and (b). The Trade Unions (West Bengal) Amendment Bill, 1969, which was received for the assent of the President as also the Kerala Recogni-

fion of the Trade Unions Ordinance, 1969, received for the prior instructions of the President before its promulgation, are under examination. The provisions of the two legislative measures require careful consideration in the light of the recommendations of the National Labour Commission, to ensure a broad uniformity in approach. A decision is expected to be taken shortly.

(c) and (d). Some reminders have been received from the Government of West Bengal. A decision is being expedited.

उच्च न्यायालयों में प्रादेशिक भाषाओं तथा हिन्दी का प्रयोग

1835. **श्री शिव कुमार शास्त्री :**
श्री आत्म दास :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उच्च न्यायालयों में प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग करने की अनुमति दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो कितने राज्यों ने उच्च न्यायालयों में प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग आरम्भ कर दिया है और कितने राज्यों ने अपने उच्च न्यायालयों में हिन्दी का प्रयोग करने का निर्णय किया है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) राजभाषा अधिनियम की धारा 7 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 348 (2) में यह उपबन्ध है कि राष्ट्रपति की सहमति से किसी राज्य के राज्यपाल, उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में हिन्दी अथवा उक्त राज्य के किसी भी सरकारी प्रयोजन के लिए प्रयुक्त होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकते हैं ।

(ख) संविधान के अनुच्छेद 348 (2) के अधीन दीवानी और फौजदारी मामलों में बहस के लिए हिन्दी के प्रयोग की अनुमति केवल इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दी गई है । इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किए जाने वाले शपथ-पत्रों और कार्यवाहियों में प्रयोग के लिए दस्तावेज की किताबों में शामिल किए जाने वाले बयानों और दस्तावेजों में हिन्दी के प्रयोग को भी निम्नलिखित शर्तों पर प्राधिकृत किया गया है :

(1) यदि कोई न्यायपीठ चाहे तो हिन्दी में शपथ-पत्रों, बयानों और दस्तावेजों को अंग्रेजी में अनूदित किए जाने के आदेश विशेषरूप से दिये जाने चाहिए ; और

(2) यदि किसी निर्णय में हिन्दी के अभिवचनों, बयानों और दस्तावेजों आदि में से कोई उद्धरण शामिल किया जाता है, तो उसका अंग्रेजी अनुवाद उसके साथ भेजा जाना चाहिए ।

Amendment of Constitution Empowering Inter-State Council to deal with Centre-State Disputes

1836. SHRI SHRI CHAND GOYAL : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government are contemplating to amend the Constitution so as to empower the Inter-State Council to deal with Centre-State disputes so that such issues are taken out of politics;

(b) whether such a demand has been made; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) to (c). No Sir. The recommendation of the Administrative Reforms Commission regarding the setting up of an inter-state